

नम्बर  
जो इर

:श्रावली लोक अदालत/कम्प कार्ट में पेश हुई थी।

पक्षकारान्..... उपस्थित / सहमत .....

नहीं होने के कारण प्रकरण का निस्तारण नहीं हो सका। अतः  
पत्रावली दिनांक 24/6/18 को न्यायालय हाजा में पेश हो

अपखण्ड अधिकारी  
कठपर। अलवर।

पत्रावली के कम्प कोर्ट में पेश हुई। प्राचीन  
के उनके वकील उपस्थित नहीं। मूल  
दस्तावेज भी खाली हो गया है। अतः जो  
पत्र 212 RTA खाली किया जा रहा है।  
पत्रावली के मूल मुद्दा हीमा हीमा के  
वकालत है। शुभानाम।  
S D O I S.

21-6-18